उत्तर पश्चिम रेलवे

11 JUL 2012
North Western Railway, Jaipur
उत्तर-पश्चिम रेलवे, जयपुर

प्रधान कार्यालय
जयपुर
आर.बी.ई.सं. 73/2012
दिनांक 9/7/2012

RBE No. 73/2012

संख्याः– 500-E/0/MPP

मण्डल रेल प्रबंधक/कार्मिक– **जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर**
मुख्य कारखाना प्रबंधक– **अजमेर, जोधपुर, बीकानेर**
उप मुख्य सामग्री प्रबंधक– **अजमेर, जोधपुर**
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/**निर्माण– जयपुर**
समस्त विभागाध्यक्ष/प्रका.–**जयपुर** ....
सचिव/महाप्रबंधक, वरिष्ठ महाप्रबंधक /सतर्कता प्रका.– **जयपुर**
मुख्य राजभाषा अधिकारी/प्रका.– **जयपुर**
अध्यक्ष रेलवे भर्ती बोर्ड– **अजमेर**
प्राचार्य क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान– **उदयपुर**
प्राचार्य कार्मिक प्रशिक्षण केन्द्र– **जोधपुर**
उप निदेशक, लेखा परीक्षा प्रका.– **जयपुर**
सहायक सचिव/गोपनीय – महाप्रबंधक प्रका.– **जयपुर**
मुख्य खजांची रोकड एंव वेतन विभाग प्रका.– **जयपुर**
निजी सचिव/महाप्रबंधक, वित सलाहकार एंव मुख्य लेखा अधिकारी प्रका.– **जयपुर.**

विषय :– Displying the details of the Training Centres On the Website of the Zonal Railway/PUS

संदर्भ :– Rly Bd L No. E(MPP) 2009/3/48 dt. 21/6/2012

रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दि. 21/6/2012 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्यवाही, मार्ग दर्शन एंव सूचनार्थे प्रेषित की जा रही है।

सलंग्न– यथोक्त।

(आर.के.शर्मा) 9/7
कृते महाप्रबंधक/कार्मिक

प्रतिलिपिः–

7. महासचिव– एनडब्ल्यूआरईयू — 15 प्रतियाँ।
8. महासचिव– यूपीआरएमएस — 15 प्रतियाँ।
9. महासचिव– एससी/एसटी एसो. — 15 प्रतियाँ।
10. महासचिव– ओबीसी एसो. — 05 प्रतियाँ।
11. महासचिव– पदोन्नत अधिकारी एसो. — 05 प्रतियाँ।

Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

RBE No. 73/2012

No. E(MPP)2009/3/48

Dated: 21.06.2012

The General Managers
Indian Railways & Production Units

Sub: - Displaying the details of the Training Centres on the Website of the Zonal Railway/PUs

Revised list of training centres was issued vide Board's letter of even number dated 27.02.2012 (RBE No.25/2012) modifying the "Manual of Management on Training" (Edition 1998) as per Correction Slip No.1/2012.

It has further been decided that all Zonal Railways/Production Units may arrange to provide detailed information pertaining to the training centres under their jurisdiction on their website keeping in view the following: -

(a) A link should be made on the home page of the Railway/PU under the head "About Us" as "Training Centres". This link should give the details of all the training centres under the Railway/PU. For example on the CLW Web site it should be

"About Us" => "Training Centres" => "TTC/Chittaranjan"

(b) The training centres details should be displayed within the Railway's/PU's website.

(c) The material displayed should not change the layout, outlook, feel or the aesthetics of the Railway's/PU's website. In other words, it should be consistent with the layout and design of web page of the Railway/PU.

(d) The file size containing the material should not be high so that it can be easily downloaded.

(e) Board's instructions issued vide letter No.2004/RBCC/05/06/Webpolicy.2(Rly) dated 03.11.2010 and letter No.2011/RBCC/5/6 Webpolicy.2(Pt) dated 23.01.12 should be kept in mind. The same are available on the Railway Board's website on C&IS Dte. page

...2/-

The training centres must provide the following information on the website: -

(a) Basic details – Name of the Training Centre, Name of the Principal, Address, Phone number, fax number, email- ID, Vision & Mission statements, if any, classroom timings, hostel facilities, class room facilities , messing facilities, etc;
(b) Details of Faculty – Gazetted and Non-gazetted;
(c) Calender of training courses;
(d) News letter of the training centre
(e) Photographs of the training centres;
(f) Any other important activity undertaken by the training centre;
(g) Study material, lecture notes, case studies, Question bank , etc.

Updation of contents should be done in coordination with webmaster of respective Zonal Railway/PUs.

This issues with the concurrence of the C&IS Dte of Railway Board.

Kindly acknowledge receipt of the letter.

(Anil Wason)
Dy. Director/MPP
Railway Board

No. E(MPP)2009/3/48 Dated: 2J 06.2012

Copy to:

1. The General Secretary, AIRF, 4, State Entry Road, New Delhi, with 35 spares.
2. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi, with 35 spares.
3. The Secretary General FROA, Room No.256-A Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
4. The Secretary General, IRPOF, Room No.268 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
5. All Members, Departmental Council and Secretary Staff side National Council 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi with 90 spares
6. The General Secretary, AIRPF Association, Room No,256 Rail Bhavan New Delhi with 5 spares.
7. General Secretary, All India Scheduled Castes & Scheduled Tribes Railways Employees Association, 171/B-3 Basant Lane Railway Colony New Delhi (15 copies)

For Secretary/Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आरबीई सं.: 73/2012

सं.ई (एमपीपी) 2009/3/48

नई दिल्ली, 21.06.2012

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें और उत्पादन इकाइयां

विषय: ज़ोनल रेलवे/उत्पादन इकाइयों की वैबसाइट पर प्रशिक्षण केन्द्रों के ब्यौरे दर्शाना।

बोर्ड के दिनांक 27.02.2012 के समसंख्यक पत्र (आरबीई सं.25/2012) के तहत प्रशिक्षण केन्द्रों की संशोधित सूची जारी की गई थी जिसमें शुद्धि पर्ची सं.1/2012 के अनुसार ''प्रशिक्षण से संबंधित प्रबंधन नियमावली'' (1998 संस्करण) को आशोधित किया गया था।

इसके अलावा यह भी विनिश्चय किया गया है कि सभी ज़ोनल रेलें/उत्पादन इकाइयां निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अपनी वैबसाईट पर उनके अपने अधिकार-क्षेत्र में आने वाले प्रशिक्षण केन्द्रों से संबंधित विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें:-

(क) रेलवे/उत्पादन इकाई के होम पेज पर ''अबाउट अस'' एज ''ट्रेनिंग सेंटर्स'' शीर्ष के अंतर्गत एक लिंक बनाया जाए। इस लिंक में रेलवे/उत्पादन इकाई के अंतर्गत आने वाले सभी प्रशिक्षण केन्द्रों का ब्यौरा दिया जाए। उदाहरणस्वरूप सीएलडब्ल्यू की वैबसाईट इस प्रकार होगी:

''अबाउट अस'' => ''ट्रेनिंग सेंटर्स'' => ''टीटीसी/चित्तरंजन''

(ख) प्रशिक्षण केन्द्रों के ब्यौरे रेलवे/उत्पादन इकाइयों की वैबसाइट में प्रदर्शित किए जाएं।

(ग) प्रदर्शित की जाने वाली सामग्री से रेलवे/उत्पादन इकाई की वैबसाइट के लेआउट, आउटलुक, फील या सौंदर्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह रेलवे/उत्पादन इकाई के वैब पेज के लेआउट और डिजाइन के अनुरूप होना चाहिए।

(घ) सामग्री की फाइल इतनी होनी चाहिए कि यह आसानी से डाउनलोड हो जाए।

(ङ) बोर्ड के दिनांक 03.11.2010 के पत्र सं.2004/आरबीसीसी/05/06/वैब पॉलिसी.2(रेलवे) और दिनांक 23.01.2012 के पत्र सं.2011/आरबीसीसी/05/6/वैब पॉलिसी.2 (पार्ट) के तहत जारी किए गए अनुदेशों को ध्यान में रखा जाए। ये अनुदेश रेलवे बोर्ड की वैबसाइट के सी एंड आईएस निदेशालय के पेज पर उपलब्ध हैं।

प्रशिक्षण केन्द्र वैबसाइट पर निम्नलिखित सूचना अवश्य उपलब्ध कराएं:

(क) बुनियादी ब्यौरे- प्रशिक्षण केन्द्र का नाम, प्रिंसिपल का नाम, पता, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल-आईडी, विज़न एवं मिशन संबंधी विवरण, यदि कोई हो, कक्षा का समय, हॉस्टल सुविधाएं, कक्षा सुविधाएं, खान-पान सुविधाएं आदि;
(ख) फैकल्टी संबंधी ब्यौरे- राजपत्रित एवं अराजपत्रित;
(ग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का कैलेण्डर;
(घ) प्रशिक्षण केन्द्र का न्यूज लेटर;
(ङ) प्रशिक्षण केन्द्रों के फोटोग्राफ;
(च) प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किया गया कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलाप;
(छ) अध्ययन सामग्री, व्याख्यान संबंधी नोट्स, केस स्टडीज़, प्रश्न बैंक आदि;
संबंधित ज़ोनल रेलवे/उत्पादन इकाइयों के वैबमास्टर के समन्वय से विषय-सामग्री को अद्यतन किया जाए।

इसे रेलवे बोर्ड के सी एंड आईएस निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

(अनिल वासन)
उप निदेशक/एमपीपी
रेलवे बोर्ड

सं.ई (एमपीपी) 2009/3/48 नई दिल्ली, 21 .06.2012

प्रतिलिपि:

1. महासचिव, एआईआरएफ, 4 स्टेट एण्ट्री रोड, नई दिल्ली, 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित
2. महासचिव, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली, 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित
3. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं.256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली, 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
4. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं.268, रेल भवन, नई दिल्ली, 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
5. सभी सदस्य, विभागीय परिषद् एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली, 90 अतिरिक्त प्रतियों सहित
6. महासचिव, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं.256, रेल भवन, नई दिल्ली, 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
7. महासचिव, ऑल इंडिया एससी एंड एसटी रेलवे एम्पलॉईज़ एसोसिएशन, 171/बी-3, बसंत लेन रेलवे कॉलोनी, नई दिल्ली (15 प्रतियां)

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड